बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 1973

बिहार लोकायुक्त (सेवा शर्त्त) नियमावली, 1974

तथा

बिहार लोकायुक्त (अन्वेषण)

नियमावली, 1980

(अद्यतन तक संशोधित)

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार;
पटना द्वारा मुद्रित
2001

बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 1973
(अद्यतन तक संशोधित)

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।—(1) यह अधिनियम बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 1973 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में है।

(3) यह तत्काल प्रभाव में प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषायें।—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "कार्रवाई" से अभिप्रेत है विनिश्चय, सिफारिश या निष्कर्ष के रूप में या किसी अन्य रीति से की गयी कार्रवाई और इसके अन्तर्गत कार्रवाई करने में असफलता आती है, और कार्रवाई का भाव सूचित करने वाली सभी अन्य अभिव्यक्तियों का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा।

(ख) "अभिकथन" से किसी लोक-सेवक के संबंध में अभिप्रेत है यह अभिपुष्टि कि—

(i) ऐसे लोक-सेवक ने अपनी ऐसी स्थिति का दुरुपयोग करने या किसी अन्य व्यक्ति के लिये कोई लाभ या अनुग्रह अभिप्राप्त करने के लिये या किसी अन्य व्यक्ति को असम्यक हानि पहुंचाने या कठिनाई में डालने के लिये किया है;

(ii) ऐसा लोक-सेवक ऐसे लोक-सेवक के रूप में अपने कृत्यों का निर्वहन करने में वैयक्तिक हित अथवा अनुचित भ्रष्ट हेतु से प्रेरित था, अथवा

(iii) ऐसा लोक-सेवक ऐसे लोक-सेवक के रूप में अपनी हैसियत में भ्रष्टाचार या सत्यनिष्ठा की कमी का दोषी है।

(ग) लोक-सेवक के संबंध में 'सक्षम प्राधिकारी' से अभिप्रेत है—

(i) मंत्री या सचिव की दशा में मुख्य मंत्री या संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन जारी की गयी किसी उद्घोषणा के प्रवर्तन की कालावधि में, राज्यपाल,

(ii) किसी अन्य लोक-सेवक की दशा में ऐसा प्राधिकारी जो विहित किया जाय,

(घ) "शिकायत" से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति का यह दावा कि कुप्रशासन के परिणामस्वरूप उसके साथ अन्याय हुआ है या उसे असम्यक कठिनाई हुई है।

(ङ) "लोकायुक्त" से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन बिहार लोकायुक्त के रूप में नियुक्त व्यक्ति।

(च) "कुप्रशासन" से अभिप्रेत है वह कार्रवाई जो किसी ऐसे मामले में प्रशासनिक कृत्यों के प्रयोग में की गयी हो या इस तरह की गयी तात्पर्यित हो—

(i) जहां कि ऐसी कार्रवाई या कार्रवाई को शासित करने वाली प्रशासनिक प्रक्रिया या पद्धति, अनुचितपूर्ण, अन्यायपूर्ण, सताने वाली या अनुचित रूप से विभेदकारी हो, अथवा

(ii) जहां कि ऐसी कार्रवाई करने में उपेक्षा या असम्यक विलम्बन हुआ हो, अथवा ऐसी कार्रवाई को शासित करने वाली प्रशासनिक प्रक्रिया या पद्धति में असम्यक विलम्ब अन्तर्वलित हो,

(छ) "मंत्री" से अभिप्रेत है (मुख्य मंत्री से भिन्न) राज्य की मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो और इसके अन्तर्गत राज्य-मंत्री, उप-मंत्री और संसदीय सचिव भी आते हैं,

(ज) "अफसर" से अभिप्रेत है ऐसा कोई व्यक्ति जो राज्य के कार्यकलाप से सम्बद्ध लोक-सेवा में या पद पर नियुक्त हो,

(झ) "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित,

(ञ) "लोक-सेवक" से द्योतित है ऐसा व्यक्ति जो इसमें आगे आनेवाले वर्णनों में किसी के अधीन आता हो, अर्थात—

(i) खंड (छ) में निर्दिष्ट हर मंत्री,

(ii) खंड (ज) में निर्दिष्ट हर अफसर,

(iii) खंड (ज) में निर्दिष्ट हर अफसर जो सेवा में प्रतिनियुक्ति या अन्तरण द्वारा निम्नलिखित की सेवा में हो या उससे वेतन पाता हो —

(ट) राज्य का कोई स्थानीय प्राधिकार जो सरकारी गजट में अधिसूचित किया जाय;

2 लोकायुक्त—

(ङ) राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित (स्थानीय प्राधिकार से भिन्न) कोई निगम जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो ;

(ग) कम्पनी अधिनियम (कम्पनी ऐक्ट), 1956 (अधिनियम 1, 1956) की धारा 617 के अर्थ के भीतर कोई सरकारी कम्पनी, जिसमें समादत्त अंशपूंजी का कम-से-कम 51 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा धारित हो या कोई कम्पनी जो किसी ऐसी कम्पनी की समनुषंगी हो, जिसमें समादत्त अंश का कम-से-कम 51 प्रतिशत राज्य सरकार धारण करती है ;

(घ) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (अधिनियम 21, 1860) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी जो राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन हो और राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में इस निमित्त अधिसूचित की जाय ;

(ङ) (i) उप-खंड (iii) में निर्दिष्ट किसी स्थानीय प्राधिकार, किसी निगम, किसी सरकारी कम्पनी या किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अथवा राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त किसी अन्य संस्था या प्राधिकार का प्रत्येक प्रधान या उसका डिप्टी चाहे जिस पदनाम से वह जाना जाय ;

(च) "सचिव" से अभिप्रेत है—

(i) राज्य सरकार का मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या किसी विभाग का सचिव, विशेष सचिव या अपर सचिव अथवा राज्य सरकार के सचिवालय या सचिवालय से संलग्न किसी कार्यालय में पदस्थापित प्रमंडलीय आयुक्त की पंक्ति का कोई अफसर ।

(ii) A Secretary or a Special Secretary or an Additional Secretary in the Governor's Secretariat or the Chief Minister's Secretariat.

(छ) "राज्य" से अभिप्रेत है बिहार राज्य ।

*2-क. जहां कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन कोई अन्वेषण प्रारंभ किया गया हो या प्रारंभ किया जा सकता हो, अपने द्वारा धारित पद से निर्दिष्ट किया जाये, जहां यह निर्देश इस अधिनियम की धारा 7 के प्रयोजनार्थ, उस व्यक्ति पर लागू होता समझा जायगा, भले ही वह बाद में उक्त पद धारण नहीं कर रहा हो ।

दृष्टांत—यदि कोई व्यक्ति मंत्री के रूप में या बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में निर्दिष्ट किया जाय, तो उस पद से अभिप्रेत होगा ऐसा कोई व्यक्ति जो मंत्री हो या रह चुका हो या बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का अध्यक्ष हो या रह चुका हो ।

3. लोकायुक्त की नियुक्ति ।—(i) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिये राज्यपाल अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो बिहार लोकायुक्त कहलायेगा :

परन्तु लोकायुक्त की नियुक्ति पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से और राज्य विधान-सभा में विरोधी दल के नेता से या यदि ऐसा नेता न हो तो राज्य विधान-सभा में विरोधी दल के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष द्वारा यथा निदेशित रीति से, इस निमित्त निर्वाचित व्यक्ति से परामर्श करके की जायेगी ।

(ii) लोकायुक्त के रूप में नियुक्त व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने के पूर्व राज्यपाल के या राज्यपाल द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष प्रथम अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये दिये गये प्रारूप में शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा ।

4. लोकायुक्त कोई दूसरा पद धारण न करेगा ।—लोकायुक्त संसद का सदस्य या किसी राज्य के विधान-मंडल का सदस्य न होगा और न (लोकायुक्त के रूप में अपने पद से भिन्न) कोई न्यास या लाभ का पद धारण करेगा, न किसी राजनीतिक दल के संसक्त होगा, न कोई कारोबार करेगा और न कोई पेशा करेगा अथवा न किसी विद्यालय या महाविद्यालय की प्रबंध समिति के सचिव या अध्यक्ष को कोई पद या सहकारी समिति के सचिव, अध्यक्ष या कोषाध्यक्ष का कोई पद धारण करेगा अथवा न किसी अधिसूचित क्षेत्र समिति या नगरपालिका

---

*बिहार अधिनियम 14, 1977—अधिसूचना सं० एल०जी० 1-09/76-सेज—931, दिनांक 9 जुलाई 1977 द्वारा संशोधित ।

बिहार अधिनियम 41, 1982—अधिसूचना सं० एल०जी० 1015/81-सेज—236 द्वारा अन्तः स्थापित ।

या नगर निगम या जिला परिषद् में कोई पद धारण करेगा और तदनुसार अपना पद धारण करने के पहले लोकायुक्त के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति—

(क) यदि वह संसद या किसी राज्य के विधान-मंडल का सदस्य हो, तो ऐसी सदस्यता त्याग देगा ; या
(ख) यदि वह न्यास या लाभ का कोई पद धारण करता हो, तो ऐसा पद त्याग देगा ; या
(ग) यदि वह किसी राजनीतिक दल से संसक्त हो, तो उससे अपना सम्बन्ध तोड़ लेगा ; या
(घ) यदि वह कोई कारोबार कर रहा हो, तो अपना स्वामित्व निनिहित करने को छोड़, ऐसे कारोबार के संचालन और प्रबंध से अपना सम्बन्ध तोड़ लेगा ; या
(ङ) यदि वह कोई पेशा कर रहा हो, तो ऐसा पेशा छोड़ देगा ; या
(च) यदि वह किसी विद्यालय या महाविद्यालय की प्रबंध समिति का सचिव या अध्यक्ष या सदस्य हो, तो ऐसा पद त्याग देगा ; या
(छ) यदि वह किसी सहकारी समिति का अध्यक्ष, सचिव या कोषाध्यक्ष या सदस्य हो, तो ऐसा पद त्याग देगा ; या
(ज) यदि वह किसी अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगरपालिका, नगर निगम अथवा जिला परिषद् में कोई पद धारण करता हो, तो ऐसा पद त्याग देगा ।

5. लोकायुक्त की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें ।—(1) लोकायुक्त के रूप में नियुक्त व्यक्ति, जिस तारीख को अपना पदग्रहण करेगा, उससे पांच वर्षों की अवधि तक पद धारण करेगा परन्तु—

(क) लोकायुक्त, राज्यपाल को सम्बोधित और अपने हस्ताक्षर सहित लेखा द्वारा अपना पद त्याग सकेगा,
(ख) लोकायुक्त धारा 6 में विनिर्दिष्ट रीति से अपने पद से हटाया जा सकेगा ।

(2) लोकायुक्त, अपना पद धारण समाप्त हो जाने पर, राज्य सरकार के अधीन (चाहे लोकायुक्त के रूप में या किसी अन्य हैसियत में) अतिरिक्त नियोजन के लिये अथवा धारा 2 के खंड (i) के उप-खंड (iii) में यथाविनिर्दिष्ट किसी स्थानीय प्राधिकार, निगम, सरकारी कम्पनी या सोसाईटी के अधीन नियोजन या पद के लिये अपात्र हो जायेगा ।

(3) लोकायुक्त को उतना वेतन मिलेगा जो द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट है ।

(4) लोकायुक्त किराये का भुगतान किये बिना सुसज्जित सरकारी आवास में रहने का हकदार होगा एवं उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार अथवा किसी भी स्थानीय प्राधिकार या निगम को देय उप-शुल्क एवं कर के मुद्दे प्रभार का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा (बिहार अधिनियम 13, 1988—अधिसूचना सं० एल० जी० 1-016/87-लेज—380, दिनांक 12 अगस्त, 1988 द्वारा संशोधित) ।

(5) लोकायुक्त को देय भत्ते और पेंशन तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाये परन्तु, लोकायुक्त को देय भत्ते और पेंशन तथा सेवा का अन्य शर्तें विहित करने में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को देय भत्तों एवं पेंशन तथा उसकी सेवा की अन्य शर्तों को ध्यान में रखा जायेगा :

परन्तु, यह और भी कि लोकायुक्त को देय भत्ते और पेंशन तथा उसकी सेवा की अन्य शर्तों में उसकी नियुक्ति के बाद कोई ऐसा फेरफार नहीं किया जायेगा जो उसके लिये अलाभकारी हो ।

6. लोकायुक्त का हटाया जाना ।—(1) संविधान के अनुच्छेद 311 के उपबंधों के अध्यधीन लोकायुक्त अपने पद से कदाचार या असमर्थता के आधार पर राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकेगा और किसी अन्य आधार पर नहीं ;

परन्तु, ऐसे हटाये जाने के पूर्व उक्त अनुच्छेद के खंड (2) के अधीन की जाने के लिये अपेक्षित जांच राज्यपाल द्वारा नियुक्त किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जायेगी जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायमूर्ति हो या रहा हो ।

(2) उप-धारा (1) के परन्तुक के अधीन नियुक्त व्यक्ति अपनी जांच रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा, जो उसे यथासमय शीघ्र, राज्य विधान मंडल के हरेक सदन के समक्ष रखवायेगा ।

(3) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्यपाल लोकायुक्त को तबतक नहीं हटायेगा जबतक कि ऐसे हटाये जाने के लिये राज्य विधान-मंडल के हरेक सदन के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले कम-से-कम दो तिहाई के बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन उसी सत्र में राज्यपाल को प्रस्तुत न कर दिया जाय ।

7. विषय, जिसका अन्वेषण लोकायुक्त द्वारा किया जा सकेगा ।—इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, लोकायुक्त किसी ऐसी कार्रवाई का अन्वेषण कर सकेगा, जो —

(1) किसी मंत्री या किसी सचिव, अथवा
(2) किसी अन्य लोक-सेवक

द्वारा या उसके सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुमोदन से किसी ऐसे मामलों में की गयी हो, जहां ऐसी कार्रवाई के बारे में शिकायत या अभिकथन अन्तर्वलित करने वाला परिवाद किया जाय, अथवा जहां ऐसी कार्रवाई, लोकायुक्त की राय में शिकायत या अभिकथन का विषय हो सकती हो या हो सकती थी ।

8. विषय, जो अन्वेषण के अधीन नहीं है ।—(1) इसमें आगे तथा उपबन्धित के सिवाय, लोकायुक्त किसी कार्रवाई को बाबत शिकायत अन्तर्वलित करने वाले परिवाद की दशा में इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण नहीं करेगा —

(क) यदि ऐसी कार्रवाई तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में हो, या
(ख) यदि परिवादी को किसी अधिकरण या विधि न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के रूप में कोई उपचार प्राप्त है या था :

परन्तु इस बात के होते हुए भी कि परिवादी को ऐसा उपचार प्राप्त था या है, लोकायुक्त अन्वेषण कर सकेगा, यदि उसका समाधान हो जाय कि ऐसा व्यक्ति पर्याप्त हेतुक से ऐसे उपचार का आश्रय नहीं ले सकता था या नहीं ले सकता है ।

(2) लोकायुक्त किसी ऐसी कार्रवाई का अन्वेषण नहीं करेगा—
(क) जिसके संबंध में लोक सेवक जांच अधिनियम (पब्लिक सर्वेन्ट्स इनक्वायरीज ऐक्ट), 1850 (अधिनियम 37, 1850) के अधीन औपचारिक और लोक जांच का आदेश दिया हो, या

(ख) जो जांच आयोग अधिनियम (इनक्वायरीज कमीशन ऐक्ट), 1952 (अधिनियम 60, 1952) के अधीन जांच के लिये निर्देशित विषय से संबंधित हो ।

(3) लोकायुक्त किसी ऐसे परिवाद का अन्वेषण नहीं करेगा जो धारा 18 के अधीन जारी की गयी किसी अधिसूचना के आधार पर उसकी अधिकारिता से उपवर्जित हो ।

(4) लोकायुक्त किसी ऐसे परिवाद का अन्वेषण नहीं करेगा—
(क) जिसमें कोई शिकायत अन्तर्वलित हो, यदि परिवाद परिवादित कार्रवाई के परिवादी को जानकारी में आने की तारीख से बारह मास के अवसान के पश्चात् किया जाय ;
(ख) जिसमें कोई अभिकथन अन्तर्वलित हो, यदि वह परिवाद उस तारीख से पांच वर्ष के अवसान के पश्चात् किया जाय जिस तारीख को उस कार्रवाई का किया जाना अभिकथित हो :

परन्तु, लोकायुक्त खंड (क) में निर्दिष्ट कोई परिवाद ग्रहण कर सकेगा, यदि परिवादी उसका समाधान कर दे कि उस खंड में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर परिवाद न करने का उसके पास पर्याप्त कारण था ।

(5) शिकायत अन्तर्वलित करने वाले किसी परिवाद की दशा में, इस अधिनियम की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह लोकायुक्त को इस बात के लिये सशक्त करती है कि वह किसी ऐसी प्रशासनिक कार्रवाई को, सी०-2 लोकायुक्त 5 जिसमें विवेकाधिकार का प्रयोग अन्तर्वलित हो, उस स्थिति के सिवाय प्रश्नगत करे, जबकि उसका समाधान हो जाय कि विवेकाधिकार के प्रयोग में अन्तर्वलित तत्व इस हद तक अनुपस्थित है कि विवेकाधिकार उचित रूप से प्रयुक्त नहीं माना जा सकता ।

9. परिवादों के संबंध में उपबंध ।—(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन लोकायुक्त के पास इस अध्यादेश के अधीन कोई परिवाद—
(क) शिकायत की दशा में व्यक्ति द्वारा, और
(ख) अभिकथन की दशा में, लोक सेवक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकेगा :

परन्तु, जहां व्यक्ति मर गया हो या किसी कारणवश अपनी ओर से कार्य करने में असमर्थ हो तो परिवाद किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा सकेगा, जो यथास्थिति, विधि में उसकी सम्पदा का प्रतिनिधित्व करता हो या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किया गया हो ।

(2) हर परिवाद ऐसे प्रारूप में किया जायेगा और उसके साथ ऐसे शपथ-पत्र होंगे जो विहित किये जायें ।

(3) किसी अन्य अधिनियमिति में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पुलिस अभिरक्षा या जेल या पागलखाने का उन्मत व्यक्तियों के किसी अन्य शरणस्थान से किसी व्यक्ति द्वारा लोकायुक्त को लिखा गया कोई पत्र उस पुलिस अफसर या अन्य व्यक्ति द्वारा बिना खोले और बिना विलम्ब के प्रेषिती को अग्रसारित किया जायेगा, जो ऐसे जेलों, पागलखाने या शरणस्थान का भार साधक हो और लोकायुक्त उस पत्र को उप-धारा (2) के उपबंधों के अनुसार किया गया परिवाद समझेगा यदि उसका समाधान हो जाय कि ऐसा करना आवश्यक है ।

10. अन्वेषणों के संबंध में प्रक्रिया—(1) जहां लोकायुक्त (ऐसी प्रारंभिक जांच के बाद जो वह उचित समझें) इस अधिनियम के अधीन कोई अन्वेषण करने की प्रस्थापना करें, वहां वह—

(क) परिवाद की एक प्रतिलिपि, या ऐसे अन्वेषण की दशा में जो वह स्वतः करना चाहे, उसके आधारों का एक विवरण संबद्ध लोक-सेवक और संबद्ध सक्षम प्राधिकारी को भेजेगा ;

(ख) संबद्ध लोक-सेवक को अवसर देगा कि वह ऐसे परिवाद या विवरण पर अपनी टीका-टिप्पणी दें; और

(ग) अन्वेषण से संगत दस्तावेजों की निरापद अभिरक्षा के बारे में वैसा आदेश दे सकेगा जैसा वह उचित समझें ।

(2) ऐसा हर अन्वेषण प्राइवेट में किया जायेगा और खासकर, परिवादी का और अन्वेषण से प्रभावित होने वाले लोक-सेवक का अभिज्ञान जनता को या प्रेस को न तो अन्वेषण के पूर्व न उसके दौरान और न उसके पश्चात् ही प्रकट किया जायेगा :

परन्तु, लोकायुक्त किसी निश्चित लोक-महत्व के विषय के संबंध में कोई अन्वेषण खुलेआम कर सकेगा, यदि वह किन्हीं कारणों से, जिन्हें अभिलिखित कर देगा, ऐसा करना उचित समझे ।

(3) यथापूर्वोक्त के सिवाय, ऐसा कोई अन्वेषण करने की प्रक्रिया वही होगी, जो लोकायुक्त मामले की परिस्थितियों में उचित समझे ।

(4) लोकायुक्त, स्वविवेक से, किसी ऐसे परिवाद का, जिसमें कोई शिकायत या अभिकथन अन्तर्वलित हो, अन्वेषण करने से इनकार कर सकेगा या उसका अन्वेषण बंद कर सकेगा, यदि उसकी राय में—

(क) परिवाद तुच्छ या तंग करनेवाला हो या असद्भाव से किया गया हो, अथवा

(ख) यथास्थिति, अन्वेषण करने या उसे चालू रखने के लिये पर्याप्त आधार न हो, अथवा

(ग) परिवादी को अन्य उपचार उपलब्ध हो और मामले की परिस्थितियों में यह अधिक उचित हो कि परिवादी वैसे उपचारों का लाभ उठाए ।

*"(4-A) The Lok-yukta shall not proceed with any investigation under this Act where the Supreme Court or the High Court issues any direction, order or writ under Article 32 or Article 226 of the constitution of India in respect of the matter mentioned the complaint under investigation."

(5) ऐसे किसी मामले में, जिसमें लोकायुक्त परिवाद को ग्रहण न करने का या किसी परिवाद के सम्बन्ध में अन्वेषण बंद करने का विनिश्चय करें, वह ऐसे विनिश्चय के कारणों को अभिलिखित करेगा और उन्हें परिवादी और संबद्ध लोक-सेवक को संसूचित करेगा ।

(6) किसी कार्रवाई के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण किये जाने से उस कार्रवाई पर या अन्वेषणाधीन मामले के सम्बन्ध में आगे कार्रवाई करने की लोक-सेवक की शक्ति या कर्त्तव्य पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

11. साक्ष्य—(1) इस धारा के उपबंधों के अध्यधीन, इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण के (जिसके अन्तर्गत ऐसे अन्वेषण के पूर्व की प्रारम्भिक जांच भी यदि हो, आती है) प्रयोजनार्थ, लोकायुक्त किसी लोक-सेवक या किसी अन्य व्यक्ति से जो उसकी राय में अन्वेषण से सुसंगत जानकारी प्रस्तुत करने या दस्तावेज पेश करने के योग्य हो, वह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी जानकारी प्रस्तुत करे या ऐसे दस्तावेज पेश करें ।

*Ins. by Bihar Act 14 of 1977, notification no. leg. 831, dated 9th July, 1977.

(2) ऐसे किसी अन्वेषण (प्रारंभिक जांच सहित) के प्रयोजन के लिये, लोकायुक्त को निम्नलिखित विषयों के बारे में वे समस्त शक्तियां होंगी, जो सिविल न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम 5,1908) के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय होती हैं :—

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) कोई दस्तावेज प्रकट या पेश करने की अपेक्षा करना ;

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना ;

(घ) किसी न्यायालय का कार्यालय से किसी सरकारी अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करना ;

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिये कमीशन बहाल करना ;

(च) अन्य ऐसे विषय जो विहित किये जायें ।

(3) लोकायुक्त के समक्ष की कोई कार्यवाही, भारतीय दंड संहिता (अधिनियम 45,1860) की धारा 193 के अर्थ के भीतर, न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी ।

(4) उप-धारा (5) के उपबंधों के अध्यधीन सरकार या किसी लोक-सेवक द्वारा प्राप्त अथवा उसे दी गयी जानकारी की गुप्तता अथवा उसके प्रकटन पर अन्य निबंधन को बनाये रखने की बाध्यता, चाहे वह किसी अधिनियमित द्वारा अधिरोपित हो या विधि के किसी नियम द्वारा, इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण को प्रयोजन के लिये जानकारी के प्रकटन पर लागू न होगी और सरकार या कोई लोक-सेवक ऐसे किसी अन्वेषण के संबंध में दस्तावेजों को प्रस्तुत करने या साक्ष्य देने के बारे में ऐसे किसी भी विशेषाधिकार का हकदार न होगा, जो अधिक कार्यवाहियों में किसी अधिनियमिति या विधि के किसी नियम द्वारा अनुमत है ।

(5) इस अधिनियम के कारण कोई व्यक्ति ऐसी कोई जानकारी प्रस्तुत करने या ऐसे किसी प्रश्न का उत्तर देने या किसी दस्तावेज का उतना भाग पेश करने के लिये अपेक्षित या प्राधिकृत नहीं होगा—

(क) जिसमें राज्य की सुरक्षा या अपराध के अन्वेषण या पता लगाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हो; या

(ख) जिससे राज्य सरकार के मंत्रिमंडल की कार्यवाहियों का प्रकटन अन्तर्वलित हो, और इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिये सचिव द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र जो यह प्रमाणित करता हो कि कोई जानकारी उत्तर या दस्तावेज का भाग खंड (क) या खंड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रकृति का है अंतिम कर और निश्चायक होगा ।

(6) उप-धारा (4) के उपबंधों के अध्यधीन, कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण के प्रयोजनार्थ ऐसा कोई साक्ष्य देने के लिये अथवा ऐसी कोई दस्तावेज पेश करने के लिये विवश न किया जायेगा, जिसे किसी न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में देने या पेश करने के लिये उसे विवश नहीं किया जा सकता है ।

12. लोकायुक्त की रिपोर्ट।—(1) यदि, ऐसे किसी कार्रवाई के अन्वेषण के बाद, जिसके बारे में किसी शिकायत को अन्तर्वलित करने वाला परिवाद किया गया हो या किया जा सकता था, लोकायुक्त का यह समाधान हो जाय कि ऐसी कार्रवाई से परिवादी या किसी अन्य व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है या उसे असम्यक कठिनाई हुई है, तो लोकायुक्त लिखित रिपोर्ट द्वारा संबद्ध लोक सेवक तथा सक्षम प्राधिकारी से यह सिफारिश करेगा कि ऐसे अन्याय या असम्यक कठिनाई का उपचार या प्रतितोष ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर कर दिया जो रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट हो ।

(2) वह सक्षम प्राधिकारी, जिसे उप-धारा (1) के अधीन रिपोर्ट भेजी जाय, रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति से एक महीने के भीतर लोकायुक्त की रिपोर्ट के अनुपालन के लिये की गयी कार्रवाई सूचित करें या करवा देंगे ।

(3) यदि, किसी ऐसी कार्रवाई के अन्वेषण के बाद, जिसके बारे में अभिकथन अन्तर्वलित करने वाला कोई परिवाद किया गया हो या किया जा सकता हो या किया जा सकता था, लोकायुक्त का यह समाधान हो जाय कि ऐसे अभिकथन को पूर्णत: या भागत: अभिपुष्टि की जा सकती है, जो वह सुसंगत दस्तावेजों, सामग्री और अन्य साक्ष्य सहित अपने निष्कर्षों और सिफारिशों की लिखित रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को संसूचित करेगा ।

(4) सक्षम प्राधिकारी उप-धारा (3) के अधीन अपने पास अग्रेषित रिपोर्ट की परीक्षा करेगा और रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर, लोकायुक्त को संसूचित करेगा कि रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्रवाई की गयी या करने को प्रस्थापित है ।

(5) यदि उप-धारा (1) और (3) में निर्दिष्ट सिफारिशों या निष्कर्षों पर की गयी या की जाने को प्रस्थापित कार्रवाई से लोकायुक्त का समाधान हो जाय तो लोकायुक्त संबद्ध परिवादी, लोक-सेवक और सक्षम पदाधिकारी को सूचना देते हुए, मामले को बन्द कर देगा किन्तु यदि उसका समाधान न हो और वह मामले को इस योग्य समझता हो तो वह मामले पर विशेष रिपोर्ट राज्यपाल को दे सकेगा और संबद्ध परिवादी को भी सूचित कर सकेगा ।

*5-क. यदि लोकायुक्त द्वारा अग्रेषित प्रतिवेदन में अधिनियम की धारा 2 के खंड (ज) के उप-खंड ( ) के अन्तर्गत लोक-सेवक को पद से हटाने की शक्ति अधिरोपित करने की अनुशंसा की गयी हो, तो तत्काल प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी राज्य सरकार के लिये वह विधिपूर्ण होगा कि वह आगे और किसी जांच के बिना ऐसे लोक-सेवक को उक्त अनुशंसा के आधार पर अपने पद से हटाने तथा इस निमित्त सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी पद पर निर्वाचन के लिये उसे अपात्र बनाने की कार्रवाई करें ।

(6) लोकायुक्त इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों पर पालन के बारे में प्रतिवर्ष एक समेकित रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा ।

(7) उप-धारा (5) के अधीन विशेष रिपोर्ट या उप-धारा (6) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्यपाल व्याख्यात्मक संलेख के साथ उसकी प्रतिलिपि राज्य विधान-मंडल के हरेक सदन के समक्ष रखवायेगा ।

(8) धारा 10 की उप-धारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन लोकायुक्त स्वविवेकानुसार अपने द्वारा बन्द किये गये या अन्यथा निस्तारित उस मामलों का सार जो उसे सामान्य लोक, शैक्षणिक या वृत्तिक हित के प्रतीत हो, समय-समय पर, ऐसी रीति से और ऐसे व्यक्तियों को उपलब्ध करेगा, जिन्हें वह समुचित समझे ।

*12-क. लोकायुक्त द्वारा अधिरोपित खर्च का राजस्व के बकाये के रूप में वसूली होना—परिवाद के विद्वेषपूर्ण, तंग करनेवाला या मिथ्या पाये जाने की दशा में लोकायुक्त परिवादी पर उचित व्यय अधिरोपित कर सकेगा जो राजस्व के बकाये के रूप में वसूलनीय होगा ।

13. लोकायुक्त स्टाफ—(1) लोकायुक्त इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करने के लिये अफसर और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा अथवा नियुक्ति करने के लिये अपने अधीनस्थ किसी अफसर को प्राधिकृत कर सकेगा ।

(2) ऐसे अफसरों और कर्मचारियों की कोटियां और संख्यायें जिन्हें उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त किया जा सकेगा, उनके वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें तथा लोकायुक्त की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होंगी जो लोकायुक्त के परामर्श करने के बाद विहित की जायें ।

(3) उप-धारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, लोकायुक्त इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण करने के लिये निम्नलिखित की सेवाओं का उपयोग कर सकेगा:—

(i) राज्य सरकार की सहमति से उसके किसी अफसर या अन्वेषण अभिकरण की, अथवा ।
(ii) किसी अन्य व्यक्ति या अभिकरण की ।

14. जानकारी की गुप्तता—(1) इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान या के सम्बन्ध में लोकायुक्त या उसके स्टाफ के सदस्यों द्वारा प्राप्त की गयी जानकारी को और ऐसी जानकारी के सम्बन्ध में अभिलिखित या संग्रहीत साक्ष्य को, धारा 10 की उप-धारा (2) के परन्तुक के उपबंधों के अध्यधीन, गोपनीय माना जायेगा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (इंडियन एविडेंस ऐक्ट), 1972 (अधिनियम 1,1872) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी न्यायालय को यह हक नहीं होगा कि वह लोकायुक्त को या किसी लोक-

*बिहार अधिनियम 13,1988—अधिसूचना संख्या एस०जी० 1-016/87-लेज—390, दिनांक 12 अगस्त, 1988 द्वारा संशोधित ।

*बिहार अधिनियम 13,1988—अधिसूचना सं० एस०जी० 1-016/87-लेज—390, दिनांक 12 अगस्त, 1988 द्वारा संशोधित ।

लेखक को ऐसी जानकारी के सम्बन्ध में साक्ष्य देने के लिये या ऐसे अभिलिखित या संग्रहीत साक्ष्य पेश करने के लिये विवश करें ।

(2) उप-धारा (1) की कोई बात निम्न प्रयोजनों के लिये किसी जानकारी या विशिष्टियों के प्रकटन पर लागू न होगी :—

(क) अन्वेषण या उसके बारे में की जानेवाली किसी रिपोर्ट अथवा उस रिपोर्ट पर की जानेवाली किसी कार्रवाई या कार्यवाही के प्रयोजनार्थ ; या

(ख) भारतीय शासकीय रहस्य अधिनियम (इंडियन ऑफिसियल सीक्रेट्स ऐक्ट), 1923 (अधिनियम 19, 1923) के अधीन किसी अपराध या शपथ भंग के अपराध के लिये चलायी गयी कार्यवाही के प्रयोजनार्थ अथवा धारा 15 के अधीन किसी कार्यवाही के प्रयोजनार्थ ; या

(ग) ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिये जो विहित किये जायें ।

(3) कोई अफसर या इस निमित्त विहित कोई अन्य प्राधिकारी सूचना में विनिर्दिष्ट किसी दस्तावेज या जानकारी अथवा इस प्रकार विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के किसी वर्ग के बारे में लोकायुक्त को लिखित सूचना दे सकेगा कि राज्य सरकार की राय में वैसी दस्तावेजों या जानकारी को अथवा उस वर्ग की दस्तावेजों या जानकारी को प्रकट करना लोकहित के प्रतिकूल होगा और जहां ऐसी सूचना दे दी जाय वहां, इस अधिनियम की किसी बात का यह अर्थ न लगाया जायेगा कि वह लोकायुक्त या उसके स्टाफ के किसी सदस्य को सूचना में विनिर्दिष्ट किसी दस्तावेज या जानकारी अथवा इस प्रकार विनिर्दिष्ट वर्ग की दस्तावेजों या जानकारी किसी व्यक्ति को संसूचित करने के लिये प्राधिकृत या अपेक्षित करती है ।

15. लोकायुक्त का साशय अपमान या उसके कार्य में विघ्न डालना या उसे कुद्यात करना—(1) जब लोकायुक्त इस अधिनियम के अधीन कोई अन्वेषण कर रहा हो, उस समय जो कोई भी लोकायुक्त का साशय अपमान करेगा या उसके कार्य में कोई विघ्न डालेगा, वह छः महीने तक के सादे कारावास से जुर्माना से या दोनों से दंडित किया जायेगा ।

(2) जो कोई भी, बोले गये या पढ़े जाने के लिये तात्पर्यित शब्दों द्वारा, कोई ऐसा वक्तव्य देगा या प्रकाशित करेगा अथवा ऐसा कोई अन्य कार्य करेगा, जो लोकायुक्त को कुद्यात करने के लिये प्रकल्पित हो, वह छः महीने तक के सादे कारावास से या जुर्माना से या दोनों से दंडित किया जायेगा ।

(3) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन किसी अपराध के सम्बन्ध में दंड प्रक्रिया संहिता (कोड आफ क्रिमिनल प्रोसिड्योर), 1898 (अधिनियम 5, 1998) की धारा 198-ख के उपबंध, इस उपांतरण के अध्यधीन कि लोकायुक्त को पूर्व मंजूरी के बिना लोक अभियोजक द्वारा ऐसे अपराध के सम्बन्ध में कोई परिवाद न किया जायेगा, उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त धारा 198-ख की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी अपराध पर लागू होते हैं ।

16. परित्राण—(1) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक किये गये या किये जाने के लिये तात्पर्यित किसी कार्य के लिये लोकायुक्त के विरुद्ध या धारा 13 में निर्दिष्ट किसी अफसर, कर्मचारी, अभिकरण या व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही न चलायी जायेगी ।

(2) लोकायुक्त की कोई भी कार्यवाही प्रारूप में न होने के कारण बातल न मानी जायेगी और लोकायुक्त को किसी भी कार्यवाही या विनिश्चय पर किसी न्यायालय में अधिकारिता के आधार पर ही आक्षेप या पुनर्विलोपित किया जा सकेगा अथवा उसे अभिखंडित या उस पर आपत्ति की जा सकेगी, अन्यथा नहीं ।

17. लोकायुक्त को अतिरिक्त कृत्यों का प्रदान—(1) राज्यपाल, सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा और लोकायुक्त से परामर्श करने के बाद शिकायतों के प्रतितोष और भ्रष्टाचार के उन्मूलन के संबंध में लोकायुक्त को ऐसे अतिरिक्त कृत्य प्रदान कर सकेगा जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किये जायें ।

(2) राज्यपाल, लिखित आदेश द्वारा और लोकायुक्त से परामर्श करने के बाद लोकायुक्त को, शिकायतों के प्रतितोष और भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिये राज्य सरकार द्वारा स्थापित, गठित या नियुक्त अभिकरणों, प्राधिकारों या अफसरों के सम्बन्ध में पर्यवेक्षणात्मक शक्तियां प्रदान कर सकेगा ।

(3) राज्यपाल, लिखित आदेश द्वारा और ऐसे निबंधनों तथा परिसीमाओं के अध्यधीन, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जायं लोकायुक्त से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह किसी कार्रवाई का (जो ऐसी कार्रवाई हो

जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन लोकायुक्त के पास परिवाद किया जा सकता हो) अन्वेषण करें और इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी लोकायुक्त उस आदेश का अनुपालन करेगा ।

(4) जब उप-धारा (1) के अधीन लोकायुक्त को अतिरिक्त कृत्य प्रदत्त किये जायें या जब लोकायुक्त को उप-धारा (3) के अधीन किसी कार्रवाई का अन्वेषण करना हो तो लोकायुक्त उन्हीं शक्तियों का प्रयोग और उन्हीं कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा जिनका वह यथास्थिति किसी शिकायत या अभिकथन को अन्तर्वलित करने वाले परिवाद पर किये गये अन्वेषण की दशा में करता और इस अधिनियम के उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

14. कुछेक वर्गों के लोक-सेवकों के विरुद्ध परिवादों को अपवर्जित करने की शक्ति—(1) राज्य सरकार, लोकायुक्त की सिफारिश और यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अराजपत्रित पदों को धारण करने वाले लोक सेवकों के किसी वर्ग के व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायतों या अभिकथनों या दोनों अन्तर्वलित करने वाले परिवादों को लोकायुक्त की अधिकारिता से अपवर्जित कर सकेगी ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन जारी की गयी हर अधिसूचना जारी की जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के हरेक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि तक रखी जायेगी जो चाहे एक ही सत्र में पूरी हो या दो लगातार सत्रों में और यदि जिस सत्र में यह इस प्रकार रखी गयी हो उसके या उसके ठीक बाद वाले सत्र की समाप्ति के पूर्व सदन अधिसूचना में कोई उपान्तरण करने के लिये सहमत हो जाय या दोनों सदन इसके लिये सहमत हो जाये कि अधिसूचना जारी ही की जाय, तो उसके बाद अधिसूचना यथास्थिति उस उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगी या प्रभावी ही न होगी फिर भी ऐसे किसी उपांतरण या बातिलीकरण से उस अधिसूचना के आधार पर पहले किये गये किसी कार्य की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा ।

19. प्रत्यायोजन की शक्ति ।—लोकायुक्त सामान्य या विशेष लिखित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उसे प्रदत्त किन्हीं शक्तियों (धारा 12 के अधीन राज्यपाल को रिपोर्ट देने की शक्ति को छोड़) या उस पर अधिरोपित किन्हीं कर्त्तव्यों का प्रयोग या निर्वहन धारा 13 में निर्दिष्ट ऐसे अफसर, कर्मचारी या अभिकरण भी कर सकेंगे, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किये जायें ।

20. नियम बनाने की शक्ति ।—(1) राज्यपाल, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ नियम बना सकेगा ।

(2) विशिष्ट और पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्न के लिये उपबंध किया जा सकेगा :—

(क) वे प्राधिकारी, जिनकी धारा 2 के खंड (ग) के उप-खंड ( ) के अधीन विहित किया जाना अपेक्षित है ;

(ख) लोकायुक्त को देय भत्ते एवं पेंशन तथा उसकी सेवा की अन्य शर्तें ;

(ग) वह प्रारूप जिसमें परिवाद पेश किये जा सकेंगे और वे फीसें, यदि कोई हों, जो उसके सम्बन्ध में ली जा सकेंगी ;

(घ) सिविल न्यायालय की वे शक्तियां, जिनका प्रयोग लोकायुक्त द्वारा किया जा सकेगा ;

(ङ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जा सकता है या जिसके बारे में इस अधिनियम के कोई उपबंध नहीं है या अपर्याप्त उपबंध है और राज्यपाल की राय में इस अधिनियम के उचित कार्यान्वयन के लिये उपबन्ध करना आवश्यक है ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया हर नियम बनाये जाने के बाद यथाशक्ति शीघ्र राज्य विधान-मंडल के हर एक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि तक रखा जायेगा जो चाहे एक ही सत्र में पूरी हो या दो लगातार सत्रों में और यदि जिस सत्र में वह इस प्रकार रखा गया हो उसके या उसके ठीक बाद वाले सत्र की समाप्ति के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई उपांतरण करने के लिये सहमत हो जायें या दोनों सदन इसके लिये सहमत हो जायें कि वह नियम बनाया ही न जाय तदुपरान्त

---

*धारा 18(1) के अन्तर्गत अधिसूचना एस०ओ०1510, दिनांक 23 सितम्बर, 1974 निर्गत हो चुकी है जिसके अनुसार अराजपत्रित पदों को धारण करने वालों को इसका अपवाद मान लिया गया है ।

वह नियम यथास्थिति' ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या प्रभावी ही न होगा । फिर भी ऐसे किसी उपान्तरण या वांतिलोकरण में उस नियम के अधीन पहले किये गये किसी कार्य की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा ।

21. शंकाओं का निराकरण ।—शंकाओं के निराकरण के लिये इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि इस अधिनियम की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह लोकायुक्त को किसी ऐसी कार्रवाई का अन्वेषण करने के लिये अधिकृत करती है जो निम्न द्वारा या उसके अनुमोदन से की गयी हो:—

(क) भारतीय दंड संहिता (अधिनियम 45,1860) की धारा 19 में यथापरिभाषित कोई न्यायाधीश;

(ख) राज्य के किसी न्यायालय का कोई अफसर या सेवक ;

(ग) महालेखाकार, बिहार ;

(घ) राज्य लोक-सेवा आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य ;

(ङ) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार ;

(च) विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना का अध्यक्ष या कोई सदस्य ;

*(छ) अध्यक्ष या सदस्य, बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद ।

22. व्यावृत्ति ।—इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी किसी अन्य अधिनियम या विधि के नियम के अतिरिक्त रिक्त होंगे जिसके अधीन किसी कार्रवाई के बारे में अधिनियम के अधीन परिवाद करने वाले व्यक्ति को अपील निरीक्षण पुनर्विलोकन के जरिये या किसी अन्य रीति से कोई उपचार उपलब्ध है' और इस अधिनियम की कोई बात ऐसे व्यक्ति के ऐसे उपचार करने के अधिकार को परिसीमित या प्रभावित नहीं करेगी ।

23. निरसन और व्यावृत्ति ।—(1) बिहार लोकायुक्त तृतीय अध्यादेश, 1973 (बिहार अध्यादेश सं० 123, 1973) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जायेगी मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया या ऐसी कार्रवाई की गयी थी ।

प्रथम अनुसूची

[देखें धारा 3(2)]

मैं,.....जो लोकायुक्त नियुक्त हुआ हूं ईश्वर की शपथ लेता हूं सत्यनिष्ठा में प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा और मैं सम्यक् प्रकार से, श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी-पूरी योग्यता, ज्ञान एवं विवेक के साथ अपने कर्त्तव्यों का पालन भय या पक्षपात, राग या द्वेष से रहित होकर करूंगा ।

द्वितीय अनुसूची

[देखें धारा 5(3)]

लोकायुक्त को वास्तविक रूप में लगाये गये समय के लिये 9,000(नौ हजार) रु० प्रति मास की दर से वेतन दिया जायेगा ;

परन्तु यदि लोकायुक्त अपनी नियुक्ति के समय, भारत सरकार या उसकी किसी पूर्ववर्ती सरकार अथवा राज्य सरकार या उसकी किसी पूर्ववर्ती सरकार के अधीन की गयी अपनी पिछली सेवा के लिये पेंशन (अक्षमता या

---

*बिहार अधिनियम, 13,1988—अधिनियम सं० एल०डी०1-016/87-सेव—380, दिनांक 12 अगस्त, 1988 द्वारा संशोधित ।

बिहार लोकायुक्त (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2001

बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 1973 का संशोधन करने के लिये अध्यादेश।

प्रस्तावना।—चूंकि, बिहार राज्य विधान-मंडल सत्र में नहीं है, और

चूंकि, बिहार के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की द्वितीय अनुसूची में संशोधन करना उनके लिये आवश्यक हो गया है;

इसलिये, अब, भारत-संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।—(1) यह अध्यादेश बिहार लोकायुक्त (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2001 कहा जा सकेगा।

(2) यह दिनांक 8 जून, 2001 से प्रभाव में प्रवृत्त समझा जायेगा।

2. बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की द्वितीय अनुसूची में संशोधन।—उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची की द्वितीय पंक्ति में प्रयुक्त अंक एवं शब्द "9.000 (नौ हजार) रुपये प्रतिमाह की दर से वेतन दिया जायेगा", शब्द "जो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह की दर से अनुमान्य हो अथवा समय-समय पर अनुमान्य होगा" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

3. निरसन एवं व्यावृत्ति।—(1) बिहार लोकायुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (बिहार अध्यादेश सं० 5, 2001) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कारंवाई इस अध्यादेश द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जाएगी, मानो यह अध्यादेश उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कारंवाई की गयी थी।

पटना :
दिनांक 3 नवम्बर 2001

(ह०) विनोद चन्द्र पाण्डेय
बिहार-राज्यपाल।

बि० स० मु० (विधि) 82—850—1—16-2-2002—बो० बी० लाल।

बिहार लोकायुक्त (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2001

विषय-सूची ।

प्रस्तावना ।

धाराएं ।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

2. बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की द्वितीय अनुसूची में संशोधन ।

3. निरसन एवं व्यावृत्ति ।